न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

खिंयाराम पुत्र प्रभूराम जाट
निवासी मोड़ी खुर्द तह. परबतसर

तहसीलदार , परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा।
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी

मुकदमां नम्बर :– 2020/00015 निर्णय दिनांक :– 24.03.2022

निर्णय

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मोड़ीखुर्द के खसरा नम्बर 257 रकबा 4.37 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 116 रकबा 27–04 हैक्टयर है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज है वादी की माता हस्तुड़ी पत्नि प्रभूराम की मृत्यु होने से हस्तुड़ी पत्नी प्रभूराम का सम्पूर्ण हिस्सा वादी में मर्ज होना था लेकिन ग्राम पंचायत टापरवाड़ा द्वारा बिना किसी आधार के वादी के पक्ष का नामान्तकरण 169 बिना किसी आधार के खारिज कर दिया है। वादी एक भाई हरजीराम जो जयराम के गोद चले गये गोदनामा के आधार पर हरजीराम के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 06.02.2009 को दर्ज हो चुका है वादी की बहनो द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 18.05.2017 को हकत्याग कर दिया है जिससे हस्तड़ी देवी के 1/6 हिस्सा वादी के नाम दर्ज होना है जिसके आधार पर उक्त भूमि में वादी 1/3 हिस्से की खातेदारी बनती है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज करने से यह वाद पेश कर वादी ने ग्राम खसरा नम्बर 257 रकबा 4.37 हैक्टयर भूमि में वादी हस्तुड़ी पत्नी प्रभूराम का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में गवाह अमराराम पुत्र रूघनाथ उम्र 64 वर्ष व गिरधारीराम पुत्र रतनाराम उम्र 59 के शपथ पत्र पेश किये है ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।
3. वादी के वाद पर वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एंव बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसा वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रस्तुत की है जिसमें 1/6 वादी खींयाराम पुत्र प्रभूराम की खातेदारी में तथा 1/6 हिस्सा हस्तूड़ी पत्नी प्रभूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है, हस्तुदेवी पत्नी प्रभूराम वादी खींयाराम की माता है हस्तुदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। वाद में दिये गये सरजरा खानदान प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रभूराम के वारिसान खींयाराम पुत्र, हस्तुड़ी पत्नी, भंवरीदेवी, धापु, बिरदीदेवी पुत्रियां तथा हरजीराम पुत्र है। जिसमें से हरजीराम पिता प्रभूराम के संगे भाई जयराम के गोद चला गया। हरजीराम का नाम अपने गोद पिता जयराम की खातेदारी में जरिये नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 06.02.2009 के स्थान पर खातेदारी दर्ज हो चुकी है, तथा हरजीराम ने अपने पैतृक पिता प्रभूराम के हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमि का हकत्याग खीयाराम के पक्ष में किया जिसकी प्रति प्रस्तुत की है से साबित होता है, इसी प्रकार भंवरीदेवी, धापु, बिरदीदेवी जो प्रभूराम की पुत्रियां है ने भी दिनांक 18.05.2017 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई खीयाराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया है जिसके आधार पर नामान्तकरण भी वादी के पक्ष में दर्ज हो चुका है, रजिस्टर्ड हकत्याग के पैज संख्या दो में हकत्याग सुदा भूमि का विवरण में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इस भूमि में हस्तूडी बेवा प्रभूराम के हिस्से में आने वाला हमारा सम्पूर्ण हिस्सा भी हम आप खीयाराम के पक्ष में हकत्याग करती है लिखा हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि में स्वर्गीय प्रभूराम के 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। जिसमें वादी का संग भाई हरजीराम जयराम के गोद चला गया जहां अपने गोद पिता के स्थान पर हरजीराम की खातेदारी दर्ज हो चुकी है तथा प्रभूराम की पत्नी हस्तूड़ीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के तीन बहिने है जिन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में रजिस्ट्रर्ड हकत्याग कर दिया है। जिससे प्रभूराम का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण वादी के हक व हिस्से में निहित हो गया है जिसको प्रस्तुत गवाहोने भी स्वीकार किया है, तथा प्रस्तुत रिकार्डेड दस्तावेजो से साबित होता है। जिससे वादी का वाद स्वीकर किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम मोड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 257 रकबा 4.37 हैक्टयर भूमि में हस्तुड़ी पत्नी प्रभूराम का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)